478
18/03/16

स्था0नि0ले0–36–ए

कार्यालय,उप निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0, कानपुर मण्डल, कानपुर

ज्ञाप

संख्याः एल0ए0/ 72 **दिनांकः** 30-1-16

नगरपालिका परिषद इटावा .... के

लेखाओं की वर्ष 2014-15 .... की सम्परीक्षा आख्या की ए२ ....

प्रतियां अधिशासी अधिकारी नगरपालिका इटावा .... को

सूचनार्थ शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

वरिष्ठ लेखा परीक्षक
कृते उप निदेशक

OS/Acctt

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,इटावा
18/03/16

स्था0नि0ले0–36–ए

सेवा में,

उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

संख्याः **दिनांकः**

ज्ञाप संख्याः एल0ए0/........दिनांकः........

द्वारा........के

लेखाओं की वर्ष ....की सम्परीक्षा आख्या की........

प्रतियां प्राप्त हुई।

सम्बद्ध अधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पद

LA172
30-1-16

सा–70
2015–16

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
वर्तमान लेखा परीक्षा आख्या

संस्था का नाम :– नगर पालिका परिषद, इटावा
अवधि :– 2014–15
सम्परीक्षा का दिनांक :– लेखे की सम्परीक्षा दिनांक 01.06.2015 को प्रारम्भ करके दिनांक 28.12.2015 को समाप्त की गयी।
सम्परीक्षा का स्वरूप :– उप लेखा परीक्षा।
प्रशासन :– आलोच्य वर्ष में पालिका परिषद का प्रशासन निम्नवत रहा :–
(1) अध्यक्ष –श्री कुलदीप गुप्ता (सन्टू)
(2) अधिशासी अधिकारी पद पर निम्नांकित अधिकारी कार्यरत रहे–

1.	श्री जनार्दन राय	01.04.14 से 31.03.15 तक
2.	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, उपजिलाधिकारी	01.02.15 से 31.03.15 तक

आहरण–वितरण का कार्य अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी में संयुक्त रूप से निहित था।

प्रस्तावना :– यह सम्परीक्षा भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के पूर्व तकनीकी मार्ग दर्शन एवं पर्यवेक्षण में तथा उनके द्वारा निर्धारित सम्परीक्षा माप दण्डों तथा लेखा प्रमाणन के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए राज्य अधिनियम/निकाय/निगमों की धाराओं के अन्तर्गत की गयी है।

भाग–(क)
वर्तमान लेखा परीक्षा आख्या

क– वित्तीय एवं सामान्य प्रकृति की आपत्तियों के विवरण :–

(I) जिप कम्प्यूटर्स को रू0 48,000.00 का अनियमित भुगतान :– (वा0 सं0 2 दिनांक 03.12.14) देयकों की जॉच में देखा गया कि धीरेन्द्र सिंह भदौरिया को 20'×10' की 12 होर्डिंगंस हेतु मतदाता जागरूकता अभियान के अन्तर्गत भुगतान किया गया था। कार्य निर्वाचन कार्यालय का होने के कारण न0 पा0 द्वारा व्यय किया जाना अनियमित था। जिप कम्प्यूटर्स का बिल न होकर मात्र कुटेशन पर भुगतान किया गया था जिस पर दिनांक व टी ए एन नम्बर भी अंकित नहीं था। कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया था।

(II) " माधव संदेश" को भुगतान :– दिनांक 11 नवम्बर, 14 में 13 वॉ वित्त से तीन उपकरण आदि का 16×14 से की विज्ञापन कय हेतु निकाला गया था जिस हेतु वाउचर संख्या 10 दिनांक 03.12.14 द्वारा का भुगतान किया गया था। उक्त विज्ञापन इसी दिनांक में हिन्दुस्तान में 12×12 सेमी में विज्ञप्ति थी, जिस हेतु 4641.00 का भुगतान था। माधव संदेश स्थानीय समाचार पत्र था , फिर एक ही प्रकार के लिये विज्ञापन हिन्दुस्तान से अधिक भुगतान 5382–4641=741.00 का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(III) "पुष्प सवेरा" को भुगतान –: वा0 सं0 11 दिनांक 03.12.2014 द्वारा 3000.00 का भुगतान समाचार पत्र में हार्दिक शुभकामनायें हेतु दिनांक 18.08.14 को प्रकाशित विज्ञापन हेतु किया गया था जो कि उचित नहीं था। शुभकामनाओं का प्रकाशन 15 अगस्त को नहीं किया गया था। समाचार पत्र फिरोजाबाद में प्रकाशित होता था, इटावा में इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं था। अतः रू0 3000.00 का भुगतान अनियमित था।

(IV) आयकर का अनियमित भुगतान :– सेवा प्रदाता मो0 इकबाल द्वारा न करके न0 पा0 द्वारा जमा किया जाना(वा0 सं0 72 व 73 दिनांक 09.12.14 एवं 70 व 71 दिनांक 09.01.2015 कमशः रू0 81,435.00 एवं रू0 84,257.00) व्यय प्रमाणकों की जॉच के समय देखा गया कि सेवा प्रदाता द्वारा ठेका के माध्यमं से माह नवम्बर 14, देय दिसम्बर 14 एवं माह दिसम्बर 14 देय जनवरी 15 में सफाई कर्मचारियों की कमी हेतु ठेका प्रदाता का भुगतान किया गया था। भुगतान का विवरण निम्नवत था।

		धनराशि	देय आयकर
1.	वा0 70 दिनांक 09.12.14 नवम्बर 14 मो इकबाल	1132129	25699
2.	वा0 71 दिनांक 09.12.14 नवम्बर 14 मा0 इकबाल	2455310	55736

	योग		**81435**
3.	वा0 68 दिनांक 09.01.15 दिसम्बर 14 मो0 इकबाल	1175761	26690
4.	वा0 69 दिनांक 09.01.15 दिसम्बर 14 मो0 इकबाल .	2535984	57567
	योग		**84257**

इस प्रकार आलोच्य माहों में आयकर रू0 81435 + 84257 कुल रू0 165692.00 ठेकेदार से को किये गये भुगतान से कटौती न करके पालिका द्वारा जमा किया गया था जिससे पालिका को क्षति तथा इस प्रकिया से ठेकेदार को उक्त राशि का अधिक भुगतान हुआ था। इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करके अवगत कराया जाय। इसी प्रकार अन्य माहों में भी अनियमित भुगतान था। उसकी भी गणना करके उत्तरदायी से वसूली करायी जाय।

(v) हिन्दुस्तान समाचार पत्र को रू0 60,000.00 का भुगतान :– वा0 सं0 477 दिनांक 18.08.14 को 15 अगस्त 14 पर फुल पेज का विज्ञापन हेतु 60000.00 का भुगतान किया गया था व्यय पालिका हित में न होने के साथ–साथ पालिका निधि का दुरूपयोग था।

(ख) अन्य महत्वपूर्ण अनियमिततायें :–

(1) पी0 एफ0 की कटौती न किया जाना :– वेतन देयकों की जॉच में देखा गया कि निम्न सफाई निरीक्षक जो केन्द्रीयत सेवा में आते हैं की पी0 एफ0 की कटौती वेतन से नहीं की जा रही थी। औचित्य स्पष्ट किया जाय तथा कटौती तुरन्त प्रारम्भ करके अवगत कराया जाये–

1.	श्री राजेन्द्र कुमार मु0 स0 नि0
2.	श्री अशोक कुमार स0 नि0
3.	श्री प्रमोद कुमार स0 नि0

यदि अन्य किसी केन्द्रीयत कर्मचारी की पी0 एफ0 की कटौती न की जा रही हो तो तुरन्त प्रारम्भ की जाये।

(2) संविदा कर्मचारियों का मानदेय स्वयं के स्रोतों से न करके रा0 वि0 आ0 सेरू0 10,94,515.00 किया :– आलोच्य माहों में सम्परीक्षा में वेतन देयों की जॉच में देखा गया कि संविदा सफाई कर्मचारियों का मानदेय का भुगतान नगर पालिका द्वारा निजी स्रोतो से किया जाना था, परन्तु नगर पालिका द्वारा राज्य वित्त आयोग से भुगतान किया गया था, जो नियमों के प्रतिकूल था। मानदेय का भुगतान निजी स्रोतों से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(क) नवम्बर देय दिसम्बर 2014		
पूर्वी क्षेत्र वा0 सं0 15 दिनांक 03.12.14	160159	
पश्चिमी क्षेत्र वा0 सं0 16 दिनांक 03.12.14	237323	
उत्तरी क्षेत्र वा0 सं0 17 दिनांक 03.12.14	137499	534981
(ख) दिसम्बर देय जनवरी 2015		
पूर्वी क्षेत्र वा0 सं0 19 दिनांक 06.01.15	167525	
पश्चिमी क्षेत्र वा0 सं0 20 दिनांक 06.01.15	252325	
उत्तरी क्षेत्र वा0 सं0 21 दिनांक 06.01.15	139680	559534
	कुल भुगतान	**1094515**

(3) केन्द्रीयत कर्मचारियों के वेतन देयक से आयकर की कटौती न किया जाना :– वेतन देयकों की जॉच के समय देखा गया कि पालिका में कार्यरत किसी भी केन्द्रीयत कर्मचारी की मासिक आयकर कटौती नहीं की जाती थी, क्योंकि स्रोत पर आयकर की कटौती की जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी की है। कर्मचारी व अधिकारियों का विवरण निम्नवत था।

1.	श्री जनार्दन राय, अधिशासी अधिकारी
2.	श्री मुन्नुलाल सचान, ए0 ई0 जल
3.	श्री किशोरी सिंह, जे0 ई0
4.	श्री राम यादव जे0 ई0 जल
5.	श्री मनोज दीक्षित, लेखाकार
6.	श्री जगजीवन राम कर0 नि0 अधि0

3

7.	श्री पैज सिंह, अधीक्षक
8.	श्री मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक
9.	श्री अशोक कुमार स0 निरीक्षक
10.	श्री प्रमोद कुमार स0 निरीक्षक

टिप्पणी :– इनकी आयकर निर्धारण एवं प्रपत्र 16 की स्थिति से अवगत कराया जाय।

(4) मो0 इकबाल ठेकेदार को ठेका श्रमिकों का अनियमित भुगतान :– वा0 स0 70 व 71 दिनांक 09.12.14 कमशः रू0 1132129 व 2455310 एवं वा0 सं0 68 व 69 दिनांक 09.01.15 कमशः रू0 1175761 व 2535984 श्रमिकों/सफाई कर्मचारी/ठेके पर सेवा प्रदाता मो0 इकबाल को आलोच्य माहों में पार्श्वांकित भुगतान था। इस भुतानान में निम्न कमियां थी–

(1) व्यय प्रमाणक/देयक में ठेकेदार का पंजीयन श्रम विभाग में होने की कोई प्रमाण नहीं था। बिना श्रम विभाग का पंजीयन के भुगतान अनियमित था।

(2) सभी कर्मचारी जो श्रमिक की श्रेणी में आते है प्रत्येक का पंजीयन श्रम विभाग में था अथवा नहीं स्पष्ट किया जाय, बिना रजिस्ट्रेशन के श्रमिकों से कार्य कराया जाना आपत्तिजनक था।

(3) सभी कर्मचारी/श्रमिकों को बैंक के माध्यम से भुगतान का विवरण संलग्न नहीं था। बिना बैंक खाता के माध्यम से भुगतान अनियमित था।

(4) इस हेतु शासनादेश/शासन की स्वीकृत दिखायी जाय

(5) बिलां में सफाई के मुहल्ला, वार्ड अंकित नहीं थे।

(6) एक बिल में दर 121.20 व अन्य में 252.50 की दर अंकित थी स्थिति स्पष्ट की जाय।

(7) उपस्थिति पंजिका प्रस्तुत की जाय।

(8) कार्य सन्तोषजनक होने का प्रमाण पत्र अंकित नहीं था।

(5) सोम्या ट्रेडर्स कानपुर को भुगतान रू0 18,57,000.00 :– (टाटा 407 व एल पी टी 407 का कय वा0 सं0 156 दिनांक 22.01.15 रू0 883000.00 तथा वा0 सं0 157 दिनांक 22.01.15 रू0 974000.00) इनके कय में निम्न कमिया प्रकाश में आयी–

(1) टाटा 407 एवं टाटा एल पी टी 407 सोम्या ट्रेडर्स से कय की गयी थी, जबकि इनका कय टाटा अधिकृत विक्रेता/एजेन्सी से किया जाना चाहिए था। इटावा शहर में टाटा की एजेन्सी उपलब्ध है। अतः कान्ट्रेक्टर से कय का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(2) दरो का सत्यापन कम्पनी द्वारा जारी इन्टरनेट दरों से किया गया था अथवा नहीं

(3) सम्बन्धित कय पत्रावली अप्रस्तुत रही। इसे प्रस्तुत की जाय।

(4) स्टाक बुक प्रस्तुत की जाय।

(5) टाटा 407 के कय की आवश्यकता का औचित्य भी स्पष्ट किया जाय।

(6) पीताम्बर ट्रेडर्स को भुगतान रू0 2,11,055.00 :– वा0 सं0 127 दिनांक 30.01.15 रू0 95680.00 एवं वा0 सं0 207 दिनांक 30.01.15 शीत लहर से बचाव हेतु पालिका द्वारा 18.12.14 से 27.12.14 तक 147.20 कुन्तल लकड़ी दर 650.00 कुल रू0 95680.00 का भुगतान दिनांक 30.01.15 में तथा 28.12.14 से 05.01.15 तक 177.50 कुन्तल लकड़ी दर 650.00 कुल रू0 115375.00 का भुगतान किया गया था। इस भुगतान में निम्न कमियां थी–

(1) पीताम्बर ट्रेडर्स द्वारा गाडियों की मरम्मत के कार्य का बिल गार्ड फाइल में संलग्न था। गाड़ियों की मरम्मत का कार्य करने वाली फर्म से लकड़ी की आपूर्ति का कोई औचित्य नहीं था।

(7) एकाई हाइड्रो एयर प्रा0 लि0 को कूड़ा निस्तारण का भुगतान रू0 13,80,278.00 :– वा0 स0 89 दिनांक 20.12.14 नवम्बर 14 एवं वा0 सं0 83 दिनांक 19.12.14 अक्टूबर 14 रू0 6124915.00 एवं नवम्बर 14 अक्टूबर 14 रू0 755363.00 पार्श्वांकित व्यय प्रमाणकों द्वारा कूड़ा निस्तारण का भुगतान माह नवम्बर 14 का 1639–565टन दर 390 एवं अक्टूबर 14 का 1886–945 दर 390 की दर से पालिका द्वारा भुगतान किया गया था। जॉच में सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी । साथ ही मु0 सफाई निरीक्षक द्वारा 15.12.14 में बिल का सत्यापन किया था जिसका आधार अस्पष्ट था। सम्बन्धित तौल की पत्रावली भी प्रस्तुत की जाय।

(8) त्रैमासिक सर्वे न किया जान :– सम्परीक्षा में देखा गया कि निकाय के द्वारा गृह सर्वेक्षण से सम्बन्धित त्रैमासिक सर्वे नहीं किया गया था। यह अनियमित है। नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानानुसार त्रैमासिक सर्वे अनिवार्य है, जिसके अन्तर्गत नये भवनों के निर्माण होने पुराने मकानों के नव निर्माण एवं मंजिलों के वृद्वि होने एवं जीर्ण मकानों के टूटने इत्यादि के बारे में सर्वेक्षण किया जाता है। तद्नुसार कराच्छादन की प्रक्रिया अपनायी जाती

है। परन्तु निकाय में सर्वे नहीं होने से उपरोक्त मकानों के सन्दर्भ में करारोपण नहीं हो पाया, जो नगर पालिक के आर्थिक हितों के प्रतिकूल है। गत सम्परीक्षा में भी यह आपत्ति उठाई गयी थी, फिर भी कोई कार्यवाही न किया जाना आपत्ति जनक है। इस हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। आलोच्य वर्ष में कर निर्धारण से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

(9) एवन हायड्रो मेकेनिकल इन्जीनियर, गाजियाबाद रू0 18,89,446.00 :– (वा0 सं0 1 दिनांक 11.12.14 रू0 964800 एवं वा0 स0–9, 10, 16 दिनांक 30.01.15 रू0 9,24,646.00 13 वां वित्त)–फर्म से स्वराज मजदा क्रय एवं नाला माउन्टेनिंग कार्य कराया गया था। भुगतान में निम्न कमियां प्रकाश में आयी–

(1) टेण्डर 22.11.14 में खोले गये थे। प्रफार्मा बिल 16.11.14 का था तथा इस पर चेचिस क्रय हेतु अग्रिम का भुगतानादेश नहीं था। उल्लेखनीय था जब टेण्डर 22.11.14 में खोले गये तब प्रफार्मा बिल 16.11.14 में किस आधार पर नहीं किया गया।

(2) नोटिंग के अनुसार रू0 1005000.00 अग्रिम किया जाना था, जबकि वा0 सं0 1 दिनांक 11.12.14 द्वारा 964800.00 भुगतान था। व्यापार कर भुगतान की प्रविष्टि नोटिंग पर नहीं थी। प्रफार्मा बिल सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित था।

(3) रोकड़ बहीं के अनुसार 40200.00 व्यापार कर काटा गया था।

(4) कार्यादेश 12 दिसम्बर 14 का था, तब चेक 11.12.14 में किस आधार पर निर्गत की गयी।

(10) जवाहर सोहाने कांट्रेक्टर, उरई 150 हाथ कूड़ा गाड़ी का क्रय रू0 10,50,000.00 :– वा0 स0 1 दिनांक 26.03.15(13 वां वित्त) टेण्डर 30.10.14 को खोले गये थे। तथा कार्यादेश दिनांक 10.11.14 को किया गया था जिसमें 1 माह के अन्दर आपूर्ति देनी थी, जिसके अनुसार आपूर्ति 10.12.14 तक की जानी थी, परन्त आपूर्ति 16.02.15 व 28.02.15 में की गयी थी। औचित्य स्पष्ट किया जाय। तथा अर्थदण्ड वसूला जाय।

(2) इनको पंचायत राज/यू0 पी0 एग्रो से क्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(11) मै0 शीलू कुमार ठेकेदार, महेरा चुगी से कटरा शमशेर खॉ, नाला निर्माण आगणन रू0 12,48,500.00 :– (13 वॉ वित्त) कार्य का ठेका मै0 शीलू कुमार को 0.05 प्रतिशत कम पर 1247876.00 था। कार्यादेश 06.08.13 का था 60 दिन में कार्य पूर्ण होना था। इसके भुगतान में निम्न कमियां पायी गयी।

(1) ठेकेदार को दिनांक 30.09.14 के नोटिस के पैरा–।। में कार्य प्रारम्भ न होने का उल्लेख था, इसी प्रकार 16.12.14 के नोटिस के पैरा–2 में कार्य प्रारम्भ न करने का उल्लेख था, जबकि माप पुस्तिका में 18.08.13 से कार्य प्रारम्भ दर्शित था, जबकि वास्तव में कार्य 16.12.14 के बाद प्रारम्भ किया गया। स्पष्ट किया जाय प्रथम रनिंग बिल 12.12.13 में बिना कार्य प्रारम्भ हुए किस आधार पर किया गया।

(2)कार्य 06.10.13 को समाप्त होना था परन्तु कार्य 25.02.15 को समाप्त हुआ था शर्तो के अनुसार दर 50.00 प्रतिदिन दण्ड का प्रावधान था। गणना कर वसूली की जाय।

(3) श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के पंजीकरण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाये।

(4) बिना कार्य प्रारम्भ के प्रथम रंनिग बिल का भुगतान किस आधार पर किया गया था।

(12) ठेकेदार कमलादेवी अडडा श्यामला में राधेश्याम के मकान से मन्दिर तक इन्टरलाकिंग आगणन रू0 18,12,700.00 :– 209 मीटर– श्रीमती कमला देवी का टेण्डर आगणन दर पर न्यूनतम दर होने के कारण स्वीकृत था। कार्य का समय 60 दिन का था, कार्यादेश 15.02.14 में दिया गया था।

(1) माप पुस्तिका के अनुसार कार्य 15.02.14 में प्रारम्भ हुआ था, जबकि अनुबन्ध हेतु स्टाम्प पेपर 30.07.14 में क्रय थे बिना अनुबन्ध के कार्य प्रारम्भ का कोई औचित्य नहीं था।

(2) रिकार्ड माप 20.08.14 में लगभग 6 माह बाद किया गया था, अन्तिम माप 22.10.14 को थी। स्पष्ट है कि वास्तव में कार्य 15.02.14 में प्रारम्भ नहीं था। कार्य 60 दिन के अन्दर समाप्त होना था, जिसके अनुसार समाप्ति तिथि 15.04.15 थी इस प्रकार 22.10.14 से 15.04.14=6 माह 10 दिन अर्थात 190 दिन बाद कार्य होने से अर्थदण्ड दर 50.00 की दर से 9500.00 वसूलना था, अर्थदण्ड न लगाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(3) ठेकेदार द्वारा श्रमिकों के श्रम विभाग में पंजीयन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

(4)रायल्टी की रसीद संलग्न नहीं थी।

(5) कार्य हकी फोटो/बोर्ड की स्थिति अज्ञात रही। स्थिति स्पष्ट की जाय।

(13) गोवर्धन एण्ड कम्पनी, कन्हैया नगर देसरमऊ रोड पर अनुपम गुप्ता के मकान से ज्ञानदीप इण्टर कालेज तक रू0 12,79,991.00 का भुगतान :– पार्श्वाकिंत को इण्टरलाकिंग व स्लेब निर्माण हेतु आगणन 147 मीटर हेतु 1505200.00 का था। नोटिस साइड पर अवर अभियन्ता द्वारा यह टिप्पणी अंकित की गयी थी कि कार्यादेश के

पश्चात वास्तविक लम्बाई 280 है, जबकि आगणन 147 मीटर हेतु पूर्व में बनाया था। इससे स्पष्ट था कि अवर अभियन्ता द्वारा पूर्व का आगणन स्थलीय निरीक्षण न करके काल्पनिक रूप से बना लिया गया था जो बाद में रू0 2985955.00 का हो गया था। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

(2) आगणन में 8 आइटम थे जबकि पुनरीक्षित आगणन में 9 आइटम थे, औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(14) मै0 कमला देवी ठेकेदार को रू0 170 का अधिक भुगतान :– कार्य चौहान कालोनी में पोली यादव के भवन से लेखपाल के मकान तक इण्टर लाकिंग आगणन 189750.00 ठेका स्वीकृत 0.10 प्रतिशत कम पर रू0 189560. 00 पुनरीक्षित आगणन रू0 227400.00

(1) वा0 सं0 109 दिनांक 22.01.15 रू0 171670.00 का भुगतान कटौती करके किया गया गया था।

	किया गया	होना चाहिए	
कुल भुगतान/कार्य	185582.00	185397.00	10 प्रतिशत कम
कटौतियां	13912.00	13897.00	
	171670.00	(–)171500.00	

अधिक भुगतान =170.00

इसके पश्चात ।। एण्ड अन्तिम भुगतान किया जाना था, इसको भी संशोधित/ठीक कर अधिक भुगतान की कटौती की जाय।

(15) अप्रस्तुत अभिलेख :– सम्परीक्षा में निम्न अभिलेख विभिन्न अधियाचन निर्गत करने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये। अप्रस्तुत अभिलेखों का विस्तृत विवरण निम्नांकित है। इनकों आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय। तथा सम्परीक्षा में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

15(क) अवस्थापना निधि की पत्रावलियॉ अप्रस्तुत :– अधियाचन सं0 189 दिनांक 02.12.15 द्वारा निम्न पत्रावलियों की मांग की गयी। परन्तु सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी।

क0सं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
1.	27.05.14	कनीजा बेगम	844809.00
2.	08.07.14	कनीजा बेगम	299715.00
3.	05.08.14	कमला देवी	443736.00
4.	27.08.14	चन्द्रा कन्स्ट्रक्शन	508117.00
5.	20.09.14	जितेन्द्र ट्रेडर्स	547913.00
6.	29.09.14	कमला देवी	1229736.00
7.	04.10.14	साई कन्स्ट्रक्शन	1037851.00
8.	18.10.14	जितेन्द्र ट्रेडर्स	505751.00
9.	05.11.14	सफी उल्लाह खॉ	247055.00
10.	05.12.14	कमला देवी	494825.00
11.	05.01.15	शीलू कुमार	200200.00
12.	30.01.15	साई कन्स्ट्रक्शन	269532.00
13.	26.03.15	आर0 के0 कन्स्ट्रक्शन	2116180.00
14.	26.03.15	शिव रंजन दीक्षित	1369570.00

इन्हें प्रस्तुत की जाय।

15(ख) 13 वॉ वित्त आयोग की व्यय प्रमाणकों से सम्बन्धित पत्रावलियॉ :– अधियाचन सं0 190 दिनांक 02.12.15 द्वारा 13 वॉ वित्त आयोग से सम्बन्धित पत्रावलियों की मांग की गयी। परन्तु अप्रस्तुत रही इन्हें प्रस्तुत की जाय।

क0सं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
1.	20.06.14	मै0 एम0 जी0 कन्स्ट्रक्शन निर्माण	1021566.00
2.	02.08.14	बुद्धा कन्स्ट्रक्शन	920000.00
3.	11.09.14	राजेश सक्सेना	803780.00
4.	30.01.15	सफी उल्ला खॉ	1454450.00
5.	30.01.15	अजय कुमार	1583792.00

<u>15(ग) अन्य पंजिकायें अप्रस्तुत</u> :— अधियाचन सं0 183 दिनांक 20.11.15 द्वारा निम्न अभिलेखें की मॉग की गयी परन्तु प्रस्तुत नहीं की गयी आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

1. वाद रजिस्टर
2. सभी लागबुके
3. शिकायत पंजिका
4. सफाई ठेका पत्रावली

<u>15(घ) महत्वपूर्ण क्रय पत्रावलियॉ अप्रस्तुत</u> :— अधियाचन सं0 191 दिनांक 02.12.15 निर्गत करने पर भी महत्वपूर्ण क्रय पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी इन्हें आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि
1.	23.05.14	शमशान घाट पर भूमि क्रय	31850.00
2.	26.06.14	भूमि क्रय शमशान विस्तार राकेश कुमार	1250000.00
3.	26.06.14	मुलायम सिंह	1250000.00
4.	18.12.14	समरसेट विद्युत संयोजन	1422000.00
5.	22.01.15	एम्बूलेन्स क्रय	593832.00
6.	18.10.14	एकई ट्रेडर्स	571202.00+ सितम्बर
7.	20.09.14	जितेन्द्र ट्रेडर्स	2280873.00
8.	10.06.14 / दि012	इकबाल ठेकेदार	2282135.00

<u>15(च) निर्माण कार्य आदि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत राज्य वित्त आयोग</u> :— अधियाचन सं0 194 दिनांक 05.12.15 के द्वारा निम्न व्यय प्रमाणकों (सम्य माहों) की मांग की गयी, कुछ प्रस्तुती करण के पश्चात निम्न पत्रावलियां अप्रस्तुत रहीं, आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत की जाय।

क0सं0	व्यय प्रमाणक / दिनांक	धनराशि
1.	5 दिनांक 03.12.14	1015669.00
2.	6 दिनांक 03.12.14	519919.00
3.	7 दिनांक 03.12.14	128083.00
4.	82 दिनांक 18.12.15	1574538.00
5.	83 दिनांक 18.12.15	755363.00
6.	74 दिनांक 09.01.15	394711.00
7.	106 दिनांक 22.01.15	666820.00
8.	154 दिनांक 22.01.15	1357529.00
9.	159 दिनांक 30.01.15	854692.00
10.	158 दिनांक 30.01.15	466587.00
11.	310 दिनांक 30.01.15	376503.00
12.	262 दिनांक 30.01.15	4690665.00
13.	311 दिनांक 30.01.15	994499.00
14.	312 दिनांक 30.01.15	2068844.00
15.	314 दिनांक 30.01.15	2651535.00
16.	108 दिनांक 30.01.15	1969332.00

<u>15(छ) ठेकेदारों का पंजीयतन रजिस्टर व अन्य अभिलेख अप्रस्तुत</u> :— सम्परीक्षा में अधियाचन निर्गत के बावजूद ठेकेदारों का पंजीयन रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। आगामी सम्परीक्षा में इसे प्रस्तुत किया जाय। उक्त के अतिरिक्त निम्न अभिलेख भी अप्रस्तुत रहे इन्हें भी प्रस्तुत किया जाय।

1. सम्पत्ति रजिस्टर
2. दुकान आवंटन / नाम परिवर्तन
3. ठेकेजात की पत्रावलियां / बकाया

4. सीमा विस्तार पत्रावली

15(ज) सफाई एवं संविदा कर्मचारियों की उपस्थित पंजिका अप्रस्तुत :–

1.	वा0सं0 12	दिनांक 03.12.14	1122420	पूर्वी
2.	वा0सं0 13	दिनांक 03.12.14	976992	पश्चिमी
3.	वा0सं0 14	दिनांक 03.12.14	441654	उत्तरी
4.	वा0सं0 15	दिनांक 03.12.14	160159	संविदा
5.	वा0सं0 16	दिनांक 03.12.14	237323	संविदा
6.	वा0सं0 17	दिनांक 03.12.14	137499	संविदा

पार्श्वांकित व्यय प्रमाणकों द्वारा सफाई कर्मचारियों का वेतन पूर्वी, पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्र माह नवम्बर 14 देय दिसम्बर 14 का भुगतान किया गया था, इनके भुगतान सत्यापन हेतु तीनों क्षेत्र व संविदा के स0 कर्मचारियों की माह नवम्बर व दिसम्बर 14 की उपस्थित पंजिका प्रस्तुत की जाय।

16. वर्गीकृत सार में एक मद की राशि, दूसरे मद में अकित किया जाना :– वर्गीकृत सार पंजिका में दिनांक 02. 12.14 में जलकर की धनराशि रू0 7893.00 गृहकर में दिखाया गया तथा गृहकर की धनराशि रू0 7546.00 को जलकर में दिखाया गया तथा दिनांक 03.12.14 में गृहकर की धनराशि रू0 5690.00 को जलकर में तथा जलकर की धनराशि रू0 6191.00 को गृहकर में दिखाया गया था, जो त्रुटिपूर्ण है।

(17) प्रपत्र–5 में दिनांक का उल्लेख न होना तथा समय पर धनराशि न जमा कराना :– (1) प्रपत्र–5 की बुक सं0 8 में सीवर टैंक में वसूली की रसीद काटते समय दिनांक का उल्लेख नहीं किया जाता था प्राप्त धनराशि को कार्यालय में समय से जमा नहीं किया जाता था। यह उचित नहीं था, औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(2) दरों के सत्यापन हेतु उपविधियां अप्रस्तुत रहीं।

(3) श्री अरविन्द मिश्रा कर समाहर्ता द्वारा रसीद सं0 500652 से 500700 तथा 068701 से 068731 तक वसूली की गयी थी, परन्तु किसी भी रसीद में दिनांक का उल्लेख नहीं था, औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(18) अधिशासी अभियन्ता विद्युत वा0 सं0 75 दिनांक 11.12.14 रू0 10,31,240.00 :– पार्श्वांकित देयकों के 4 बिल हस्त लिखित विद्युत विभाग के संलग्न थे। इसकी जॉच में निम्न कमियां पायी गयी।

(1) बिलों पर कनेक्शन संख्या अंकित नहीं थी, अतः स्पष्ट नहीं हो सका कि यह भुगतान कार्यालय/नलकूपों से सम्बन्धित था। स्पष्ट किया जाय।

बिल विवरण

1.	4/11 से 3/12	10 कि0 वाट	294640.00
2.	4/12 से 3/13	10 कि0 वाट	294640.00
3.	4/13 से 3/14	10 कि0 वाट	294640.00
4.	4/14 से 3/14	10 कि0 वाट	147320.00
		योग	1031240.00

टिप्पणी :– (1) समय से बिल जमा न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(2) विद्युत बिल पंजिका प्रस्तुत की जाय।

(3) कम्प्यूटराइज बिल न होने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(19) बी0 के विल्डर्स वा0 स0 76 दिनांक 11.12.14 रू0 2,53,000.00 जमा राशि की वापसी :– पार्श्वांकित बिल द्वारा बी0 के0 विल्डर्स की जमानत वापसी रू0 253000.00 थी।

(1) मांग पत्र संलग्न नहीं था।

(2) जमानत जमा/कटौती का कोई ब्यौरा संलग्न नहीं था, इस हेतु जमानत पंजिका प्रस्तुत की जाय।

(3) सत्यापन हेतु वि0 सं0 17 दिनांक 10.08.13 प्रस्तुत किया जाय।

(20) समाचार पत्र कल्पतरू का विज्ञापन वा0 सं0 78 दिनांक 18.12.14 रू0 10,000.00 :– कल्पतरू पेपर का इटावा में प्रचार एवं प्रसार न्यून था, फिर भी विज्ञापन उक्त समाचार पत्र में कराया गया था। विज्ञापन मथुरा पेज पर था, तथा इस मद पर यह अधिक व्यय था।

(21)चेक संख्या 084985 दिनांक 18.10.14 रू0 1,46,99,000.00(13 वित्त) :– महेवा चुंगी नाला निर्माण हेतु जिलाधिकारी के आदेश सं0 5511 दिनांक 18.10.11 द्वारा जल निगम (सी0 एण्ड डी0) को 14699000.00 हस्तान्तरित थे। यह धन जल निगम के बैंक खाता ओ0 बी0 सी0 खाता संख्या 15562041000835 दिनांक 25.11. 14 में प्राप्त था। इसका आय–व्यय आलोच्य वर्ष में निम्नवत था।

प्रा0 शेष	शून्य
प्राप्त	14699000.00
प्राप्त ब्याज	59601.00
	14758601.00
व्यय	3871301.00
31 मार्च 15 का इतिशेष	10887300.00

टिप्पणी :– (1) उक्त सभी धन का उपभोग 31 मार्च 2015 तक किया जाना था।

(2) प्राप्त ब्याज को जल निगम द्वारा मुख्यालय को प्रेषित किया गया था। इस सम्बन्ध में आदेश प्रस्तुत किया जाय।

(22) मेसर्स लाला राम प्रकाश गुप्ता, वा0 सं0 133 से 148 दिनांक 22.01.15 डीजल आपूर्ति रू0 291302.00 का भुगतान :– देयकों की जॉच में पाया गया कि माह दिसम्बर 14 में 16 वाहनों/ट्रैक्टर/जनरेटर आदि में डीजल आपूर्ति का भुगतान किया गया था। इसकी जॉच में निम्न कमियां प्रकाश में आयी।

(1) वाहनों की लॉगबुक के आभाव में क्रय का सत्यापन एवं उपभोग आदि की जॉच सम्भव न हो सकी, डीजल का उपभोग बिना लागबुक के सम्भव नहीं है, लॉगबुक प्रस्तुत न होने से डीजल उपभोग में गड़बड़ी की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः रू0 291302.00 का व्यय सत्यापित नहीं हो सका।

(23) बोर्ड फण्ड एवं अनुदानों के प्रति/व्यय का विवरण :– पालिका द्वारा आलोच्य वर्ष में बोर्ड एवं प्राप्त अनुदानों से आय– व्यय का व्यौरा निम्नवत था।

क0सं0	मद	आय/अनुदान	व्यय
1.	बोर्ड फण्ड	50148150.00	50148150.00 सड़क का
2.	राज्य वित्त आयोग	407966470.00	109044764.00 सड़क का
3.	13 वॉ वित्त आयोग	27690629.00	38647779.00
4.	अवस्थापना	23541937.00	16172951.00
5.	संगठित विकास योजन	553151.00	शून्य

(24)अमान्य व्यय(वा0 सं0 52 व 53 दिनांक 07.08.14 रू0 823756.00) :– पार्श्वांकित व्यय प्रमाणक द्वारा जिला आस्पताल में 1 मिनी नलकूप बोरिंग व पाइप लाइन फिटिंग व बोरिंग आदि का रू0 504187 व 319569 कुल रू0 823756.00 व्यय था यह न0 पा0 पर उचित व्यय भार नहीं था क्योंकि अस्पताल की सुविधा हेतु स्वास्थ विभाग बजट निर्गत करता है। अतः औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(25) अमान्य व्यय वा0 सं0 153 दिनांक 24.09.14 रू0 371375.00 :– पाश्वाकिंत व्यय प्रमाणक द्वारा श्री हरिओम शर्मा ठेकेदार को कलक्ट्रेट परिसर में शौचालय, मूत्रालाय एवं स्नानागार निर्माण हेतु रू0 371375.00 का भुगतान किया गया था यह अमान्य व्यय था क्यों कलेक्ट्रेट में सुख–सुविधाओं हेतु राजस्व विभाग बजट प्रदान करता है। औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(26) सेवा पुस्तिकाओं से सम्बन्धित अनियमिततायें :– सम्परीक्षा में संलग्नक सूची के अनुसार 24 सेवा पुस्तिका प्रस्तुत की गयी। (संलग्नक–''च'')

टिप्पणी :– (1) पायी गयी अनियमितताओं का यथास्थान उल्लेख कर दिया गया है।

(2) सफाई विभाग की सेवा पुस्तिकायें अप्रस्तुत रही इन्हें भी प्रस्तुत किया जाय।

(3) श्री अवनीश पाण्डेय लिपिक की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में 30.05.2008 में की गयी थी इसकी सेवा पुस्तिका में निम्न कमी पायी गयी।

(I) नियुक्ति पत्र बिना डिस्पैच नम्बर के निर्गत किया गया था मात्र तिथि 30.05.2008 का उल्लेख था।

(27) मु0 शाहिद पुत्र मुंशी खॉ की चय0 की नियुक्ति अनियमित :– इनकी पत्रावली में मूल अभिलेख संलग्न नहीं थे। संलग्न प्रत्रों में क्रमांक गलत अंकित था इनकी नियुक्ति में निम्न कमियां पायी गयी।

(1) क्रमांक पृष्ठ (1) के अनुसार 02.07.01 को कार्य पर आये परन्तु सेवा पुस्तिकों में निर्गत नियुक्ति 28. 03.01 दर्शित थी। पृष्ट 12 पर अध्यक्ष के आदेश 27.03.01 का उल्लेख था परन्तु आदेश संलग्न नहीं था। अधिशासी अधिकारी द्वारा 27.03.01 को नियुक्ति पत्र बिना डिस्पैच संख्या के किया था।

(2) दो सेवा पुस्तिका में संलग्न थी, औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(3) जन्म तिथि अंकित नहीं थी।

(4) इनके पिता की मृत्यु हुई अथवा नहीं, के सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था तथा परिवार रजिस्टर की नकल/वारिसान प्रमाण पत्र नहीं था।

(5) पृष्ठ 3 पर शाहिद के प्रार्थना पत्र 01.06.2001 के अनुसार अप्रैल 01 का वेतन ही किया गया था तथा अधिशासी अधिकारी के आदेश संख्या 11.05.07 व 16.05.01 के अनुसार इनकी नियुक्ति निरस्त की गयी थी।

(6) अपर जिलाधिकारी के पत्रांक 1003 दिनांक 30 मई 2002 के द्वारा सिविल रिट याचिका 4550/2002 तथा माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश 01.02.02 के अनुपालन में आदेश किया गया था कि स्टे का अनुपालन किया जाय, तथा रिट याचिका में प्रति शपथ पत्र दाखिल कर स्थगन आदेश 01.02.02 को बैकेट कराने की कार्यवाही नहीं की गयी थी

(7) यह भी अवगत कराया जाय कि किस–2 अवधि का वेतन उन्हें नहीं दिया गया ।

(8) सेवा पुस्तिका में वेतन रोकने सेवा समाप्ति व कोर्ट आदि के आदेशों का कोई उल्लेख नहीं था।

(9) उक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि इनकी नियुक्ति/अवैध नियुक्ति हेतु कोर्ट में विधिवत रूप से कार्यवाही नहीं की गयी।

(विनोद कुमार बंसल)
उप निदेशक
कानपुर मण्डल कानपुर

स्थानः– कानपुर।
दिनांकः– 02.02.2016
निहाल सिंह (प्रभारी)
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

सा—70
2015—16

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
सम्परीक्षा आख्या

संस्था का नाम :— नगर पालिका परिषद, इटावा
अवधि :— 2014—15

भाग—ख विगत लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. गत सम्परीक्षा आख्या की समीक्षा :— गत सम्परीक्षा आख्या संस्था कार्यालय में प्राप्त हो गयी थी। विगत सम्परीक्षा आख्या के अनुसार 2047 आपत्तियॉ अनुपालन के आभाव में लम्बित थी। इनकी अनुपालन आख्या तैयार कर सम्परीक्षा में प्रस्तुत की जाय ताकि इनका निराकरण हो सके, अत्यधिक आपत्तियों का लम्बित रहना संस्था हित में नहीं था। साथ ही यह स्थिति सम्परीक्षा के उददेश्यों को भी विफल करती थी। आपत्तियों की स्थिति संलग्नक ''क'' के अनुसार थी।

2.संस्था की परफारमेंस :— संतोषजनक।

3. वित्तीय स्थिति :— प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार जहॉ तक सुनिश्चित किया जा सका, प्रमुख कोषों की आय—व्यय की स्थिति संलग्नक ''ख'' के अनुसार थी

टिप्पणी:— (1) संगठित विकास योजना का रू0 57444.00 मुख्य खाता (नगर निधि) में जमा कर दिया गया था अतः रू0 57444.00 रोकड़बहीं व बैंक इतिशेष में अन्तर था इस राशि को मुख्य खाता से संगठित विकास योजना खाते में हस्तान्तरित कराकर अवगत कराया जाय।

(2) संगठित विकास योजना का धन निर्धारित मद में उपभोग किया जाय अन्यथा इस धन की ब्याज सहित वापसी शासन की निर्धारित मद में करायी जाय।

(3) पालिका द्वारा बैंक/कोषागार में कितने खाते संचालित किये जा रहे थे, अवगत कराया जाय जिससे पालिका द्वारा संचालित वास्तविक खातों का सत्यापन हो सके। साथ ही आय—व्यय /इतिशेष का सत्यापन हो सके।

(4) बैंक समाधान विवरण विगत कई वर्षो से नहीं बनाया गया था इसमें वित्तीय अनियमितताओं की आशंका थी। अतः इसे बनाकर प्रस्तुत किया जाय।

(5) कमांक 1 4, 6, 7 पर अंकित बैंक विवरण/बैंक पास बुक सम्परीक्षा में प्रस्तुत की जाय।

(6) रा0 वि0 आयोग/अवस्थापना मद में आय के सापेक्ष व्यय/उपभोग कम किया गया था। स्थिति स्पष्ट की जाये।

(7) अवस्थापना का अनुदान रू0 21278248+2263689=23541937 अवस्थापना की रोकड़ बहीं में न लेकर मुख्य लेखा में प्राप्त था तथा अवस्थापना में 16 ग्रामों का विद्युतीकरण का धन रू0 2446593 जमा किया गया था, इसकों संशोधित/शुद्ध किया जाय।

(8) 13 वां वित्त का धन 14699000.00 जल निगम को दिनांक 18.10.14 में हस्तान्तरित था, इसका उपभोग लेखा प्रस्तुत किया जाय।

(9) 13 वॉ वित्त की आय में ड्राफ्ट निरस्त की आय 2368416.00 तथा ब्याज का धन रू0 1741486.00 शामिल था।

(10) क एवं ख का अन्तर स्पष्ट किया जाय।

(11) अनावश्यक खातों को बन्द किया जाय।

4. राजकीय अनुदान :— प्रमाणित किया जाता है कि आलोच्य अवधि में संस्था को प्राप्त निम्न अनुदानों का उपभोग उन्हीं उददेश्यों एवं शर्तो के अनुसार किया गया था जिस हेतु वे प्राप्त हुए थे। विचलन का उल्लेख यथा स्थान कर दिया था।

(क) राज्य वित्त आयोग :— प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार निम्न अनुदान प्राप्त थे—

कमांक	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	प्राप्ति दिनांक	धनराशि
1.	8/5579/152(6)/तृरा0वि0आ0	05.05.14	54803119.00

2.	8/79/152(6) तृ0रा0वि0आ0	19.06.14	55429080.00
3.	8/5843/152(6)/तृरा0वि0आ0	14.08.14	187797485.00
4.	8/5844/152(6)/तृरा0वि0आ0 विकास	04.08.14	53003119.00
5.	8/3353/37 रिवाल्विंग फण्ड	02.03.15	26656255.00
6.	8/3383–2110 मलिन बस्ती	20.03.15	3621156.00
7.	बैंक ड्राफ्ट सं0 800232 रिवाल्विंग फण्ड	21.10.14	26656256.00
8.	शा0सं0आर0एफ0/346/नौ–9/2014 5(24) 16 ग्रामों के विद्युती करण हेतु	06.06.14	2446593.00
	कुल योग		**410413063.00**

टिप्पणी :– (1) अनुदान स्वीकृत पत्र अप्रस्तुत रहे। इन्हें प्रस्तुत किया जाय।

(2) अनुदान पंजिका अनुरक्षित नहीं थी। इसे अनुरक्षित किया जाय।

(3) उक्त के अतिरिक्त अन्य अनुदान प्राप्त नहीं हुए थे, प्रमाणित कराया जाय।

(4) कमांक 8 पर अंकित अनुदान (विद्युतीकरण) 2446593.00 को अवस्थापना रोकड़बहीं में लिया गया था। इसे मुख्य लेखा में लेना उचित होता।

(5) अवस्थापना, अनुदान अब रोकड़ बहीं में न लेकर मुख्य लेखा में लिया गया था।

(ख) 13 वॉ वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान :– प्राप्त अनुदानों की स्थिति निम्नवत थी–

1.	शा0सं0–8/6017/92(1) 13वां वि0 आयोग	20.10.14	14132637.00
2.	शा0सं0–8/5542/92(1) 13वां वि0 आयोग	31.03.14	9448090.00
		योग	**23580727.00**

टिप्पणी :– (1) अनुदान स्वीकृत अप्रस्तुत रहे इन्हें प्रस्तुत किया जाय।

(2) अनुदान पंजिका अनुरक्षित नहीं थी, इसे अनुरक्षित किया जाय।

(3) जल निगम को 14.10.14 में 14699000.00 हस्तान्तरित था इसका उपभोग/अवशेष की स्थिति अलग दी गयी है।

(ग) 2 प्रतिशत अवस्थापना अनुदान स्टाम्प शुल्क से :– प्राप्त अनुदानों की स्थिति निम्नवत थी–

1.	शा0 सं0–8/3358/ 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क 31.03.15	21278248.00
2.	शा0 सं0–8/7934/122/2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क 27.03.15	22636889.00
	कुल प्राप्त	**23541937.00**

टिप्पणी :– (1) स्वीकृत अप्रस्तुत रहे इन्हें प्रस्तुत किया जाय।

(2) अनुदान पंजिका अनुरक्षित नहीं थी इनमें अनुरक्षित किया जाय।

(3) उपर्युक्त अनुदान (क)(ख) एवं (ग) की स्थिति संलग्नक "ग" में भी सन्दर्भित है।

5. नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण :– पालिका द्वारा नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण तैयार नहीं किया गया था, यह अनियमित था जबकि लेखाओं के अनुरक्षण हेतु चार्टडे एकाउन्टेन्ट की व्यवस्था शासन द्वारा की गयी है। अतः इसे प्रस्तुत किया जाय।

6. **राजकीय ऋण** :– आलोच्य वर्ष में पालिका को कोई राजकीय ऋण नहीं प्राप्त हुआ था और न ही गत/विगत वर्षो का कोई ऋण उपभोग हेतु शेष था। इस कथन की पुष्टि ऋण पंजिका द्वारा करायी जाय।

गत सम्परीक्षा आख्या के अनुसार शा0 सं0 आर0 एफ0–346/नौ–9–2014–5(24)/12 दिनांक 16.06.14 द्वारा 16 ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु नया सवेरा, नगर विकास योजना के अन्तर्गत रू0 2446593.00 मार्च 2015 में प्राप्त हुआ था, जिसको अवस्थापना रोकड़ बहीं में प्राप्त किया गया था। इसमें 31.03.15 तक 4700422.00 व्यय/उपभोग कर लिया गया था।

टिप्पणी :– शासनादेश 16.06.14 का था, जबकि प्राप्त मार्च 15 में हुआ था, औचित्य स्पष्ट किया जाय।

7. विनियोजन :– सम्परीक्षा को अवगत कराया गया कि पालिका द्वारा कोई विनियोजन नहीं किया गया था, संस्था हित में विनियोजन कराया जाना उचित होगा। विनियोजन न होने की पुष्टि की जाय।

8. सम्परीक्षा शुल्क :– आलोच्य वर्ष की सम्परीक्षा हेतु निर्धारित मानव दिवस पर वरिष्ठ लेखा परीक्षक के मानव दिवस 53 दर 10300.00 दर से रू0 545900.00 तथा लेखा परीक्षक 67 मानव दिवस दर 6300.00 दर से रू0

422000.00 कुल रू0 968000.00 का सम्परीक्षा शुल्क ज्ञाप निर्गत किया गया था। इसे शीघ्र राजकोष के निर्धारित मद में जमा कराकर अवगत कराया जाय।

9. सफाई कर्मचारी कल्याण निधि के अभिलेख अप्रस्तुत :– सम्परीक्षा में सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की रोकड़ बहीं तथा अन्य सहायक अभिलेख बार–2 मांगने पर एवं अधियाचन निर्गत करने के बावजूद अप्रस्तुत रहे, इन्हें प्रस्तुत किया जाय।

10. मांग समाहरण पंजिकायें अप्रस्तुत :– सम्परीक्षा में गृहकर, जलकर, जलमूल्य एवं दुकान किराया आदि से सम्बन्धित मांग वसूली की स्थिति प्रस्तुत विवरण जो शासन को प्रेषित आंकडों के अनुसार था कर एवं करेत्तर की स्थिति संलग्नक ''घ'' के अनुसार थी।

टिप्पणी :– (1) गृहकर की वसूली के आकड़े शासन को 76.33 लाख (कालम 8) में दर्शित थे जबकि न0 पा0 की आय विवरण में इस मद में शुद्ध प्राप्ति रू0 80.91 लाख दर्शित थी। अन्तर का कारण स्पष्ट किया जाय।

(2) जलकर की वसूली 76.33 लाख दर्शित थी जबकि नगर पालिका के आय(मदवार) में 56.26 लाख दर्शित थी, स्थिति स्पष्ट की जाय।

(3) प्रेक्षा गृहकर 0.60 लाख तथा नगर पालिका की आय विवरण में 0.949 लाख दर्शित थी, अन्तर का कारण स्पष्ट किया जाय।

(4) करेत्तर में दुकान किराया 40.5 लाख वसूली दर्शित थी जबकि नगर पालिका की आय मद में 28.05 लाख दर्शित थी।

(5) ठेका पार्किंग की मांग 241.00 लाख के विरूद्व वसूली 2 लाख दर्शित थी, अत्यधिक बकाया रहने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

11. नजूल लेखा :– विगत सम्परीक्षा के अनुसार नजूल पंजिका में 62 सम्पत्तियॉ अंकित थी। पंजिका में निम्न कमियां प्रकाश में आयी–

(1) पंजिका का सत्यापन प्रत्येक वर्ष नहीं किया गया था।
(2) अतिक्रमण न होने का प्रमाण अंकित नहीं था।
(3) जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सम्पत्तियों की पुष्टि करायी जाय।
(4) कुछ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण की रिपोर्ट अंकित थी। इन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराया जाय।
(5) कितनी सम्पत्तियां किराये पर उठाई गयी थी, का पंजिका प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाय।
(6) सम्पत्तियों की फ्रीहोल्ड कराया जाना था, स्थिति अज्ञात रही, स्थिति से अवगत कराया जाय।
(7) नई नजूल पंजिका अनुरक्षित की जाय।

12. अधिभार :– सम्परीक्षा में अधिभार को सम्बन्धित कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। परन्तु विगत वर्षो की आपत्तियों का अनुपालन न कराये जाने से कुछ बिन्दु अधिभार से सम्बन्धित बन सकते है।

13. बजट समीक्षा :– वर्ष 2014–15 का बजट बोर्ड प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 26.02.14 द्वारा पारित था जिसमें कमशः रू0 438340000.00, 565785000.00 का आय–व्यय का प्रावधान था, समीक्षा निम्नवत थी–

(क) आय की मदें **धनराशि(लाखों में)**

क0सं0	मद	बजट प्रावधान	वास्तविक
1.	गृहकर	45	80.9
2.	जलकर	65	56.26
3.	जलमूल्य	40	36.71
4.	तहबाजारी	81	12.48
5.	दुकान किराया	35	28.05
6.	शमन शुल्क	05	1.56
7.	प्रीमियम	18	0
8.	रोड़ कटिंग/होर्डिंग	25	.38
9.	राज्य वित्त से अनुदान	30000	41041
10.	13 वॉ वित्त	600	276
11.	2 प्रतिशत अवस्थापना	–	240

(ख) व्यय की मदें (लाखों में) धनराशि

1.	पेंशन	400	173

2.	पी0 एफ0	150	54.94
3.	पथ प्रकाश	200	122000
4.	सड़क मरम्मत	1500	1090
5.	2 प्रतिशत अवस्थापना	250	161
6.	13 वॉ वित्त	850	3.86

टिप्पणी :– (1) आय– व्यय के प्रावधान से स्पष्ट था कि आय से व्यय का अधिक प्रावधान था अतः बजट घाटे का था, इसकी स्वीकृति आयुक्त से आवश्यक थी।

(2) आय– व्यय की मदों से यह भी स्पष्ट था कि मदों का प्रावधान काल्पनिक आधार पर किया गया था, जिससे प्रावधान व वास्तविक में अत्यधिक विचलन था।

14. अधिष्ठान :– अधियाचन सं0 194 दिनांक 05.12.15 निर्गत करने के पश्चात भी अधिष्ठान पंजिका सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे शासन द्वारा स्वीकृत/कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा/जॉच नहीं हो पायी, प्रस्तुत की जाय।

15. निष्कर्ष :– उपर्युक्त अनुच्छेदों से स्पष्ट था कि लेखाओं की स्थिति संतोष जनक थी परन्तु फिर भी सुधार की गुजाइंश थी, पालिका में आपत्तियों की संख्या अधिक थी, इनके निराकरण हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। स्वच्छ आपत्ति पत्र में कोई पद शेष नहीं है। मूल आपत्ति पत्र अधोहस्ताक्षरी को वापस किया जाय।

(विनोद कुमार बंसल)
उप निदेशक
कानपुर मण्डल कानपुर

स्थानः– कानपुर।
दिनांकः– 02.02.2016
निहाल सिंह (प्रभारी)
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

संलग्नक "क"

नगर पालिका परिषद, इटावा
वर्ष 2014–15 अनिस्तारित आपत्तियों की सूची

अवधि	सम्परीक्षा के अनुच्छेद	पद	कुल संख्या
1947–48	15,18,21,24,26,28,29,30,31,32(ख),36	17	12
1948–49	6,7,8,9,11,13,18,20,25,26,31,	22,30,38,50,57,58,66,77,78,81,85,92,98	24
1949–50	10,12,16,22,26,28	4,11,13,15,24,25,27,32,39,58	16
1950–51	6(ख)	–	01
1951–52	6,8,12,14,15,16(बी),18,21	–	08
1952–53	6(सी),16(बी),20,23,24	7अंश,8,11(बी),12,13,25,26,27,34,51,55,64,72 (नोट)(अ)	17
1953–54	12,13,16,18,20	–	05
1954–55	11,17,18,19,20(बी),22	–	06
1956–57	17	–	01
1957–58	5,12,16(बी),17,18,19,20,21,22,23,24	–	11
1958–59	12,14,15(ए)(बी),17(ए)(बी)(सी),18,19,20,21,22,23,24 30,49,53,55,57(बी)	7,8,9,14,15,17,19,23	26
1959–60	5,6,16	–	03
1960–61	4,5,6,7,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87	104
1961–62	5,5,10,11,13ए,15,16,17(बी),18,19,22,23	–	11
1962–63	5(ए)(बी)(नोट)(बी)(नोट)(सी)नोट6,10ए,12(सी) (डी)	–	07
1963–64	5(ए)(बी)(सी)(डी)(ई)(एफ),6,8,9,12,15(ए)(बी) (सी)(डी)(ई)(एफ),16,18(डी)(ई),27(ए)(बी)(सी) (डी)(ई),30	–	24
1964–65	4,5,6(ए)(बी)(सी)(12)(13)(1)(2),14,22(ए)(बी)	–	11
1965–66	5(बी),6(बी)(ई),7(डी),15,15(1)(2)(बी),17,21(बी)	–	09
1966–67	5(2),13,14,15(क)(ख)(ग),19	–	07
1967–68	10(1),11,12	–	03
1969–70	3टि0,3,8,9,10,11,12,13(क)(ख)(ग)(घ)(ड़)(च), 14,15,16,17,18,19,20,21,22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)	–	29
1970–71	4टि0(2)(3)(4),25,26,32	–	06
1971–72	3टि0(1)(2)(3)(4)(5),4,5(1)(3),7,8,9(2)(3),10, (1)(2)(क),11(क)(ख)(ग)(घ)(ड़)(च)(1)(2)(3)(4) (छ)(ज),12,13,14(क)(ख)(1)(2),14,15(1),16,17, 18,19	–	36
1972–73	6.15	–	02
1973–74	3टि0(क)(1),4,5टि0(1)(2),8(2),8(2)(3)(4)(5),10, 11,12,13,14,15(क)(ख)(ग)(घ),18,19,20,21	48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,	64

	(क)(ख)(ग)(घ)(ड़)(च)(छ)(ज),22(क)(ख),23,24, 25,26,27(क)(ख)(ग),28	64,65,66,67,68,69,70	
1974—75	5,6(क)(ख),10(ख)(ग),11,12,13,14,15(क)(ख)(ग),16,17,18,19,20,21,22,23(1)(2)(3)(4)(5), 24	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53,54,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68, 69,70,71,72,73,74,75,76, 77,78,79,80,81	106
1975—76	5,19(1)(3)(4),20(1)(क)(ख)(ग),21(1)(2),22(1)(2)(3)(4)(5),23 ,24(1)(2)	25,31,32,57,59	22
1976—77	3टि0(3)(4),7(1)(2)(3)(4),16,17,18,19,20,21,22,23(1)(2)(3)	6,8,12,24,25,26,38,39,42 ,43,44	28
1977—78	3टि0(1),4,5,7परिशिष्ट(ख)(1)(2),8,9,10(1)(2)(3),11,12,(1)(2) ,13(1)(2),14,15,16,18,20,21,22(1)(2),23,2426,27	—	26
1978—79	3टि0(2),5टि0(1)(2),6,7परिशिष्ट(घ)नोट(2)(3),9,10,11,12,13, 14(1)(2),15(1)(2)(3),16(1)(2),17(1)(2),18(1)(2)(2)(3)(4)(5) (6)(7),19(1)(2)(3),20,21(1)(2),22,23,24,25(1)(2)(3),26(4) (7),27,28	—	45
1979—80	16,28,29,35	—	04
1980—81	6टि0(3),18,19,22(क)(ख),23,24,26,27,28,33(क)	—	11
1981—82	17,18,19,20,22,32(क)	—	06
1982—83 से 1983—84	3टि0(क)(ख)(ग)टि0(1)(2)(3)(4),7(1)(2)(3),14,15,16(ख),20,2 1(क)(ख)(ग),24टि0(4),25,27(क)(ख),30,33	—	22
1984—85	7(घ)टि0(1),17(2)(3),19(क)(ख),21(1)(2)	—	07
1986—87	3टि0(4)(5),4टि0(1),6(1)(2)(3),7(1),10(3),15(2)(3),17,18,19 (1)(2)(3),20(3)(4),21,22(1),24(क)(ख)(ग),25(1)(2)(3)(ख) (ग),30(1)(2)(3),32	—	31
1987—88	3टि0(3)(5)(6),4टि0(1)(2)(3),7(क)टि0(1)(2),7(ख)टि0,8टि0 (1)(2)(3),9टि011(2),14(ख),15(ख)(ग)(घ)टि0(1),16(1)(2)(3), 17,18टि0(1)(2),19टि0,20,21,22(1)(2),29(क)(ख)(ग)(घ),30 (1)(2)(3)(4),35,36(1)(2)	—	40
1988—89	3टि0(2),4टि0(1)(2)(3)(4)(5),4टि0(क)(ख)टि0(1)(2),15(1)(2) (क),16टि0,21,22,25(1)(2),28,29,33,35,36,37	—	23
1989—90 से 1990—91	4टि0,6टि0(2),7टि0(2),18,20टि0,22(1)(2),23(1)(2)(3)(4),24 (1)(2),27,28,29(1)(2),30(1)(2),32,33,34,35,36,37टि0,38,39 टि0(क)(ख)(1)(2)	—	29
1991—92	3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7),4टि0(1)(2)(3),5टि0(1)(2),6टि0(1) (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9),7टि0(1)(2)(3),8टि0(1),12,13,14,15 (1)(2)(3),16,17,18(1)(2),22(1)(2),22(1)(2)(3),23टि0,24,25, 26(1)(2)(3)(4),27(1)(2),28(1),29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41	—	61
1992—93	4टि0(1)(2)(3)(6)(ख)टि0(3)14टि0(6)(7),15,18,19(क)(ख)टि0 (1)(2),20(1)(2),21,22टि0(1)(2),23,24,25,26(क)(ख),27टि0, 29,30टि0(1)(2)(3),31,34	5,6,7,22,29,33	35
1993—94	5टि03(छ)(ज)(झ),3,4,5,12टि0(3),13(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) (9)(10)(11),14(ख),16(1)(2)(3)(4)(5),18,20,29,34	1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20,	53

		21,22,23,24	
1994—95	3टि0(1)(2)(7)(8)(9),4टि0(1)(2)(3),5,7,टि0(1)(3),4,5,9टि0(1)(2),12,14टि0,15टि0(1)(2)(3)(4),17,18(2)टि0(1)(2)(3),19,20 टि0(2),21,21टि0,22टि0(1)(2)(3),24,25,26,27(I)(I I),28,29 (I)(I I),30,32टि0(ख)(1)(2)(3),33(1)(2)	3,36,37,40,42,43,54	53
1995—96	5टि0(1)(3)(4),6(ख)टि0(1),8टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),14(2),16 (2)टि0(1)(2),20	—	14
1996—97	4टि0(1)(2)(3)(4),6टि0(3),18,19	—	07
1997—98	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	—
1998—99	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	—
1999—2000	सम्परीक्षाआख्या—भागदो(ब)—1(क)(ख)(ग)(घ)(ड़)(च)(छ)(ज),3 टि0(1)(2),4टि0(1)(2),5,5(2)(3),6टि0(2)(3),7टि0(1)(2),8(1)(2),9टि0(1)(2)(3)(4)(5),10,11(क)(1)(2)(3)(ड़)(च)(छ)(ज)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(झ)12	अज्ञात	42
2000—01	सम्परीक्षाआख्याभागदो(ब)—1(क)(ख)(1)(2)(3)(ग)(1)(2)(घ)(ड़)(1)(2)टि0(1)(2)(3)(च)(छ)(ज)(झ),3टि0(1)(2),4(क)टि0(1)(3)(ख)टि0(1),5,6(2),7टि0(1)(3)(4),9,10(1)(2)(3)(4)(5)11,12,13 ,14,15(क)(ख)(ग)(छ)(ज)(घ),16,17,18,19	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22	69
2001—02	सम्परीक्षाआख्या—भाग—दो—(ब)—1(1)(2)(3)टि0(1)(2)(3)(4)(5),5(2)(3)(6)(7)(8),3टि0(क)(ख)(ग)(घ),4टि0(क)(ख)टि0(अ)(ब)(स)(द),5,6टि07(2)टि0(क)(ख)(ग)(घ)(च)(छ)9,10,11टि0 (क)(ख)(ग),12,13,14,15(1)(2)(3)16(क)(ख)(ग)(घ),16,17(1),19,20,22,23(अ)(ब)(स)(2)(3)(ग)(घ)(1)(2)(3)(4)(र)(ल)(व)टि0 24	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22	86
2002—03	सम्परीक्षाआख्या—भाग—दो—(ब)—1(क)(ख)प्रथम(2)(3)(4)(5)(6)(क)(ख)(ग)(घ)(1)(2)(3)(च)(छ)(1)(2)(ज)(झ)2टि0(2)(3)(4)(5),4(क)टि0(1)(2),4(घ)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(क)(1)(2),7(ख),8(क)टि0(1)(2)(3)(4)(5),8(ख)(1)(2)(3),8(ग)टि0(1)(2)(3)(4)8(घ)टि0(1)(2)(3)(4),9(क)(ख)(ग)(घ)(ड़)	1,2,3,4,5	60
2003—04	सम्परीक्षा—आख्या—भाग—दो(ब)—1(क)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)1(ख)टि0(1)(ग)(1)(2)(3)टि0(1)(2)(3)(घ)(ड़)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(च)(छ)(ज)(झ)(ट)(1)(2)(3)(4)(5),1,2टि0(I)(I I)(I I I)टि0(1),4(2)(3)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(ख) टि0(1)(2)(3)(4)(5),4(क)टि0(I)(I I)(ख)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),5,6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(ख)(1)(2)(ग)(1)(2)(3)(4)(घ)टि0 (1)(2)(3)(4)(5)(6),5,6(1)(2)(3),7(क)टि0(I)(I I)(ख),8(क)टि0 (1)(2)(3)(4)(5)(6),7,8(ख)(1)(2)(ग)(1)(2)(3)(4)(घ)टि0(1)(2)(3)(4)(5),9टि0,10,11,12(1)(2)(3),13,14,15,16टि0(1)(2),17,18,19(I)(I I)टि0,20,21,22,23,24	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,. 35,36,37,38,39,40,41	161
2004—05 से 2005—06	सं0आ0—भाग—दो(ब)—1(क)(ख)(ग)(घ)(ड़)(च)(I)(I I)(छ)टि0 (ज)(झ)(ट)टि0(1)(2)(5)(6)(ड)टि0(1)(2)(ढ)(ण)(त)(थ)(द)(ध)(न)(प)(फ)(ब)(भ)(म)(य)(र),3(क)टि0(1)(2)(3)(4)(5),3(ख)टि0 (1)(2)(3)(4)(ग)टि0(1)(2)(3)(4)3,3(घ)टि0(1)(2)(3)(ड़)टि0(1),4(क)टि0(1)(2)(3),4(ख)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)6,6(अ),6(ब)टि0 (1)(2)(3)(4)(5)(6),7,8टि0(1)(2)(3)(4)(5),9,10टि0(1)(2),11 टि0(1),12टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),13टि0(1)(2)(3),14	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25	110
2006—07	आख्या भाग प्रथम—1(क)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) भाग—दो(ब)—1(क)(ख)(1)(2)(ग)(1)(घ)टि0(1)(2)(ड़)(च)(छ) टि0(1)(2)(3)(ज)(झ)(इयॉ)(ट)(ठ)(ड)(ढ)(ण)(त)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(थ)(द)(घ)टि0(1)(2)(3)(प)(फ)(ब)(1)(2)(भ)(1)(2)(3)(4)(5)(म)(य)(1)(2)(3)(4)(5),3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10),3(क)टि0(1)(2)(3)(4)(5),4टि0(1)(2)(3)(ख)टि0(1)(2),5,6टि0(1)(2)(3),7(1)(2),8टि0(1)(2)(3),9(I)(I I)(I I I)(4)(1)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24	119

	(2)(3)(4)(5)		
2007–08	भागप्रथम–1(क)(ख)(ग)(घ)(ड़)(च)(छ)(ज)(झ)(इयॉ)(ट)(ठ)2,3 टि0(1)(2)(3)(4)(5),4टि0(1)(2),4(अ)टि0(1)(2)(3)(4),6,6(अ) टि0,7,8,9,10,11,12,13,14	–	33
2008–09	भाग–क–(क)दा(1)(2)(3)टि0(1)(2)(4)(5)(6)(क)(छ) भाग–ख–2टि0(1)(2)(3)(6)(7)(8)3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),4 (क)टि0(1)टि06,7,(1)(2)(3)(4)(5),8,9,10(क)(1)(2)(3),10(ख) टि0(1)(2)(3)	1,2,3,4	48
2009–10	भाग–क–(एक)(1),टि0,2,3,4,5टि0,6,तीन(I)(II)(III)(2)(3) (IV)(V)(VI)(VII)(VIII)(IX),4(1)(2)(3)(4)(5) नौ(1)(2) (3)(4)(5)	–	27
2010–11	भाग–क–(क)1,1टि0,2,3,4,5,6,(ख)–1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) (8),4,5,5टि0(1)(2)(3),6,7(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8),8(अ)(ब)टि0 (1)(2),8(स)टि0(1)(2)(3)(क),8(द)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8),9 (1)(2)(3)(4),10,11,12,12टि0(1)(2)(3)(4),13,13टि0(1)(2)(3) (4) भाग–ख–3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8),4टि0(1)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(8)(9),5,6,7,8,9(1)(2)(3)(4)(5)(6),10,11	–	90
2011–12	भाग–''क''–क(1)(2)(3)(4)(1)(2)(4)(5)(6),5,टि0(1)(2)(3),7,8 (1)(2)(3),9,10,11,12,13(1)(2),14,15,16,16टि0 भाग–''ख''–3टि0(1)(2)(3)(5),4टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7),5,6, 7,8,9,10,11(3)	–	45
2012–13	भाग–क–क–(1)(2)(3)(4)(I)(II)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) (13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26) भाग–ख–3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9),4टि0(1)(2)(3)(4) (5)(6)(7)(8),5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	–	54
2013–14	भाग–क–1,2,3,4,4(II),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,24(ख)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)	–	35
		योग	2045

वरिष्ठ लेखा परीक्षक

परिशिष्ट 'ख'

नगर पालिका परिषद, इटावा वर्ष 2014–15 का आय–व्यय का विवरण

वित्तीय स्थिति

विवरण	मुख्य लेखा	13वां वित्त आयोग	2प्रतिशत अवस्थापना	संगठित विकास योजना
प्रा0 शेष	157027500.71	38709325.38	18685165.86	450433.86
वर्ष की आय	458114620.00	27690629.00	2954710.00	553151.00
योग	615142120.71	66399954.30	21639875.86	1003584.86
वर्ष का व्यय	315973924.00	38647779.40	16172951.00	शून्य
31 मार्च को इतिशेष	299168196.71	27752174.90	5466924.86	1003584.86
इतिशेष का विवरण–	299168196.71ख	27752174.90ख	5466924.86ख	1003584.86ख
1.इलाहाबाद बैंक 20487303151	–	–	–	–
2.जि0स0बैंक 000310005000646	8988899.75	–	–	–
3.स्टेट बैंक 11122295891	270694919.69	–	–	–
4.पी0एन0बी0 3685000400150965	–	–	–	–
5.––"–– 016300401513198रोड़	–	31118330.90(ख)	–	–
6.––"–– 0163002100003615	–	–	–	–
7.कोषगार पी0एल0ए0रा0वि0आ0	–	–	–	–
8.––"–– –"–2प्रतिशत अवस्थापना 844806	–	–	5581847.86(ख)	–
9.बैंक आफ बडौदा 27240100019075	–	–	–	1021708.86(ख)
10.आई0डी0वी0आई0 बैंक 1064104000006484	34035.00	–	–	–

वरिष्ठ लेखा परीक्षक

परिशिष्ट 'ग.'

वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद इटावा को प्राप्त एवं अप्रयुक्त अनुदानों एवं ऋणों का विवरण

क्रमांक	राजकीय आदेश सं0 तथा दिनांक जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की भौतिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति तिथि	वर्ष के प्रारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गयी धनराशि	वर्ष के अन्त में अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(ख) 13 वॉ वित्त आयोग									
1.	शा0सं08/5542/92(1)13वा0वि0 आ0 31.03.14	निर्माण कार्यो हेतु सामान्य निष्पादन	9448090	10.04.14	38709325	23580727	64031538	38647779		
2.	शा0सं08/6017/92(1)(1)13वां वि0आ0 दिनांक 20.10.14	सामान्य बुनि–यादी अनुदान	14132637	30.10.14	ब्याज	1741486			25383759+	2368416अनिस्तारित ड्राफ्ट
	(ग)अवस्थापना निधि									
1.	शा0सं08/3358/स्टाम्प शुल्क दिनांक 31.03.15	विकास कार्य हेतु	21278248	31.03.15	18685166	23541937	42227103	16172951	26054152	अवस्थापना अनुदान मुख्य लेखा में था।
2.	शा0सं08/7934/22दि027.3.15	–"–	2263689	31.03.15						
	शा0सं0आर0एफ0/346/नौ–9–2014–15(24)12दि0 16.06.14 विद्युतीकरण	16ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु	2446593	24.3.15	2446593	2446593	4893186	4700422	192764	अवस्थापना की रोकड़ बही में लिया था।
	(क) राज्य वित्त आयोग				अनुदान पंजिका/वर्गीकृत सार पत्र के आभाव में स्थिति अज्ञात					
1.	शा0सं08/5579/152(6)तृ0रा0वि0 2013–14 दिनांक 05.05.14	वेतनादि हेतु	27401559	मई 14						
2.	———"———	––"––	27401560							
3.	शा0सं08/79–152(6)तृ0रा0वि0 2014–15, 19 जून 14	––"––	27714540	22.01.15						
4.	———"———	––"––	27714540							
5.	शा0सं08/5843/152(6)तृ0रा0वि0 आ0 2014–15 दिनांक 14.8.14	––"––	140848113	16.03.15						
6.	———"———	––"––	46949372	30.3.15						
7.	शा0सं08/5844/152(6)तृ0रा0वि0 दिनांक 14.8.14	विकास कार्यो हेतु	53003119	18.3.15						
8.	शा0सं08/3353/37 दिनांक 02.03.15 रिवाल्विंग फण्ड से	––"––	26656255	30.3.15						
9.	शा0सं08/3383–2110दिनांक 20.3.15	मलिन बस्ती सुधार	3621156	31.3.15						
10.	बैंक ड्राफ्टसं0 800232 दिनांक 21.10.14 रिवाल्विंग फण्ड	विकास हेतु	26656256	27.12.14		407966470				
			407966470							

माह : मार्च 31, 2015 तक

संलग्नक (घ)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, इटावा

अवधि- 2014-15

प्रपत्र-10-बी

नगरीय निकायों के संसाधन
(नोडल विभाग—नगर विकास विभाग)

ईकाई भौतिक संख्या में वित्तीय लाख में

क. सं.	निकायों द्वारा प्रत्यारोपित किये गये करों के मदों का नाम	वसूली हेतु देय धनराशि	माह में प्राप्त किये जाने हेतु धनराशि का लक्ष्य	माह में प्राप्त धनराशि	माह में प्राप्त की जाने वाली लक्षित धनराशि के सापेक्ष माह में प्राप्त धनराशि का प्रतिशत (5 का 4 से)	माह तक प्राप्त किये जाने हेतु धनराशि का लक्ष्य	माह तक प्राप्त क्रमिक धनराशि	माह तक प्राप्त की जाने वाले लक्षित धनराशि के सापेक्ष माह तक प्राप्त क्रमिक धनराशि का प्रतिशत (8 का 7 से)	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	—:करः—	**154.28**	**15.42**	**0.71**	**4.60**	**154.28**	**153.73**	**99.64**	
अ	जलकर	76.02	7.60	0.24	3.15	76.02	76.33	100.40	
ब	गृहकर	77.66	7.76	0.41	5.28	77.66	76.80	98.89	
स	प्रेक्षा गृहकर	0.60	0.06	0.06	100.00	0.60	0.60	100.00	
2.	—:करेत्तरः—	**671.94**	**67.19**	**153.01**	**227.72**	**671.94**	**351.94**	**47.46**	
अ	ठेका पार्किंग शुल्क	241.00	24.10	——	——	241.00	2.00	0.82	
ब	आराजी	4.75	0.47	0.43	91.48	4.75	3.98	83.78	
स	दुकान किराया	42.15	4.21	3.88	92.16	42.15	40.50	96.08	
द	विविध प्रकार के लाइसेन्स	7.10	0.71	0.01	1.40	7.10	7.10	100.00	
य	अन्य	376.94	37.69	148.69	394.50	376.94	298.36	79.15	
	योग	**826.22**	**82.62**	**153.72**	**186.05**	**826.22**	**505.67**	**61.20**	

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद इटावा

संलग्नक(च)

जॉच की गयी सेवा पुस्तिकाओं की सूची

1. श्री अवनीश पाण्डेय, लिपिक
2. श्री अमित कुमार सविता, चपरासी
3. श्रीमती आशा देवी, मुहर्रिर
4. श्री हसीन अख्तर, टी0सी
5. मु0 शकील, चपरासी
6. अफजाल पुत्र अख्तर, चपरसी
7. मु0 शाहिद पुत्र मुंशी खॉ, चपरासी
8. मु0 सलीम, टी0 सी0
9. शादी लाल, मीटर रीडर
10. बृजेश कुमार बेक्सीनेटर
11. सुबोध दुबे, चपरासी
12. शिवशंकर, चपरासी
13. अनिल कुदेशिया, टी0सी0
14. सुरेश सिंह, मुहर्रिर
15. तहसीन अहमद, टी0सी
16. भरत कुमार, मुहर्रिर
17. मु0 इस्लाम, चपरासी
18. जन्टर सिंह, पम्प अटेण्डेण्ट
19. अनादि कृष्ण, चौकीदार
20. रामकृष्ण पी0ए0 पम्प अटेण्डेन्ट
21. प्रयाग सिंह, बेलदार
22. जगत नारायन, बेलदार
23. श्रीपतिराम, चौकीदार
24. शत्रुधन सिंह पी0 ए0 पम्प अटेण्डेन्ट